

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन शाखा)  
अधिघोषणा

पत्रांक ...../रा० भू-अर्जन प्रशाखा, पटना दिनांक .....

चूंकि बिहार सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि गाँव/मौजा सिकन्दरपुर, थाना नं० 243, अंचल पूर्णियाँ पूर्व, अनुमण्डल-सदर, जिला-पूर्णियाँ के अन्तर्गत एस०एस०बी० सेक्टर हेडक्वार्टर एवं अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु आपात प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारी खर्च पर रैयती भूमि की आवश्यकता है।

अतः इसके द्वारा परियोजना पूर्वांकित मौजा सिकन्दरपुर, थाना नं० 243, अंचल पूर्णियाँ पूर्व, अनुमण्डल-सदर, जिला-पूर्णियाँ अन्तर्गत भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश रकवा 37 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

खाता	खेसरा	रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	रकवा (एकड़ में)
33	220 P	0.17	70	240	0.48	101	278	0.90
43	221 P	0.48	131	241	2.30	17	279	0.17
33	223	0.59	179	242 P	0.905	101	280	0.16
33	224	0.47	135	251 P	0.47	101	281	0.24
05	225	1.02	32	252	0.80	17	282	0.24
05	226	0.72	130	253	0.57	109	285 P	1.59
140	227	0.14	134	254	0.54	89	286	0.54
140	228	0.30	134	255	0.58	89	287	0.28
05	229	0.52	136	268 P	0.12	89	288	0.94
07	230	0.32	136	269 P	0.12	89	289	0.47
07	231	0.30	136	270	0.44	89	290	1.20
07	232	0.38	136	271	0.71	89	291	0.30
89	233	0.79	136	272	0.27	89	292	0.44
89	234	0.63	136	273	0.51	89	293	0.47
89	235	0.70	131	274 P	0.42	60	294	0.95
30	236	0.57	89	275 P	2.58	1	295 P	2.165
120	237	0.40	23	276 P	2.26	109	299	0.82
77	238	0.38	170	264 P	0.70			
60	239	0.51	17	277	0.96			
							कुल :-	37.00

पूर्ण खेसरा :- 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 252, 253, 254, 255, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 एवं 299

अंश खेसरा :- 220, 221, 242, 251, 268, 269, 274, 275, 276, 264, 285 एवं 295

चौहद्दी निम्न प्रकार है-

उत्तर - खेसरा, 220 (अंश), 221(अंश), एवं 222

दक्षिण- पक्की सड़क खेसरा 298, 283, 285(अंश), 295(अंश), एवं 296

पूरब - ग्रामीण सड़क

पश्चिम - 220, 242(अंश), 251(अंश), 255(अंश), 254(अंश), 256, 267(अंश), 266(अंश), 274(अंश), 275(अंश), 276(अंश) एवं 264 अंश

भूमि या भूमि का किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, अबरख एवं खनिज आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 और अधिनियम (18) 1885 की धारा 3 (क) खण्ड (1) के उपबंधों के अधिन उन सभी रैयतों एवं व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिसका अधिग्रहित इस भूमि से संबंध है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन कार्यालय, पूर्णियाँ में देखा जा सकता है।

1/2/13

समाहर्ता,  
पूर्णियाँ

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/

सरकार के अवर सचिव

- प्रतिलिपि :- झापांक 3164/जि०भू०अ०, पटना, दिनांक - 04-09-13  
निदेशक जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू० अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता, प्रभारी जिला गजट, पूर्णियाँ समाहरणालय को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की दस-दस (10-10) प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- समाहर्ता, पूर्णियाँ/जिला भू० अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

30/2/13

सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
बिहार पटना